संख्या-42/1214 ई-2/तेरह-2014-164/86टीसी

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर,2014

विषय:-पुनरीक्षण याचिका संख्या-73(रिवी0)/2008 दि नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में पारित विशेष सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22-10-2009 एवं व्यव0 प्रकीर्ण याचिका संख्या-1664/2010 नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दि0 09-12-2010 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-32/नौ-अल्कोहल/164/रिफण्ड/नेशनल, दिनांक 14-8-2012, संख्या-जी-18/नौ-अल्कोहल/164/रिफण्ड/ नेशनल, दिनांक 07-8-2013 तथा संख्या-जी-12/नौ-अल्कोहल/164/रिफण्ड/ नेशनल, दिनांक 23 जून,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षण याचिका संख्या-73(रिवी0)/2008 दि नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में पारित विशेष सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22-10-2009 तथा प्रकीर्ण याचिका संख्या-1664/2010 नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दि0 09-12-2010 के अनुपालन में

http://sirsanadesh.up.nic.in/go.intra

नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष् 2005-06 की अवधि में एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए लाइसेंस के नवीनीकरण के मद में जमा की गई कुल धनराशि रू0 6.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) वापस किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत धनराशि को वापस करने से पहले कोषागार में उसके जमा होने की पुष्टि सम्बन्धित कोषागार से करा ली जाय।

3- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी को वर्ष 2014-15 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00-105-विदेशी लिकर एवं स्प्रिट-90-घटाएं वापसियॉ-00" के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

संख्या-1214(1) ई-2/तेरह-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद।
(4) सहायक आबकारी आयुक्त, नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद।
(5) नेशनल इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/gointra